<u>न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,गढ़मुक्तेश्वर, हापुड।</u>

उपस्थितः–श्री पंकज कुमार –II, उ.प्र.न्यायिक सेवा (उ०प्र० 3652)

UPHP120029832024

Warrant or Summons Criminal Case/1631/2024

वाद सं०–828/2024

मु०अ०सं०–103/2024

सरकार बनाम मनोज चौहान

अंतर्गत धारा–506,307,120 बी. भा०दं०सं० व 3/25/27 आयुध अधिनियम।

आरोप पत्र संख्या–126 ए/2024

थाना–बहादुरगढ़, जनपद हापुड़

<u>सैशन सुपुर्दगी आदेशः</u>

<u>दिनांक–08.06.2026</u>

1. पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण 1. दीपक उर्फ दीपेश पुत्र आनन्दपाल, 2. मोहित चीमा पुत्र स्व० हरवीर सिंह के विरूद्ध मु०अ०सं०–61/2026 में अंतर्गत धारा–506,307,120 बी. भा०दं०सं० व 3/25/27 आयुध अधिनियम व अभियुक्त 3. राजू उर्फ राजकुमार पुत्र लेखराज, 4. प्रमोद चौहान पुत्र महेन्द्र सिंह,5. विरेन्द्र चौहान पुत्र महेन्द्र सिंह, 6. मनोज चौहान पुत्र महेन्द्र सिंह, 7. दीपक चौहान पुत्र ब्रह्मसिंह, 8. गौरव त्यागी पुत्र ब्रह्मसिंह, 9. महेश पुत्र गोपाल, 10. मुकेश सैनी पुत्र महेश के विरूद्ध अंतर्गत धारा–506,307, 120 बी. भा०दं०सं०, थाना बहादुरगढ़, जनपद हापुड़ में विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

2. अभियुक्त प्रमोद चौहान जिला कारागार तिहाड़ दिल्ली से तलब होकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया तथा अभियुक्तगण दीपक उर्फ दीपेश,राजू उर्फ राजकुमार, प्रमोद चौहान, विरेन्द्र चौहान, मनोज चौहान, दीपक चौहान, गौरव त्यागी , महेश, मुकेश सैनी जमानत पर है तथा न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये तथा अभयुक्त मोहित चीमा की ओर से अधिवक्ता द्वारा हाजरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदत्त की जा चुकी हैं।

4. पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार थाना–बहादुरगढ़ द्वारा अभियुक्तगण 1. दीपक उर्फ दीपेश पुत्र आनन्दपाल, 2. मोहित चीमा पुत्र स्व० हरवीर सिंह के विरूद्ध मु०अ०सं०–61/2026 में अंतर्गत धारा–506,307,120 बी. भा०दं०सं० व 3/25/27 आयुध अधिनियम व अभियुक्त 3. राजू उर्फ राजकुमार पुत्र लेखराज, 4. प्रमोद चौहान पुत्र महेन्द्र सिंह,5. विरेन्द्र चौहान पुत्र महेन्द्र सिंह, 6. मनोज चौहान पुत्र महेन्द्र सिंह, 7. दीपक चौहान पुत्र ब्रह्मसिंह, 8. गौरव त्यागी पुत्र ब्रह्मसिंह, 9. महेश पुत्र गोपाल, 10. मुकेश सैनी पुत्र महेश के विरूद्ध अंतर्गत धारा–506,307, 120 बी. भा०दं०सं०, थाना बहादुरगढ़, जिला हापुड़ के विरुद्ध विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जो माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। पत्रावली को माननीय सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया जाता है।

5. अभियुक्तगण दौरान सत्र विचारण व निस्तारण तक माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे।

6. फौजदारी लिपिक नियमानुसार कैलेण्डर तैयार करें और पत्रावली कैलेण्डर तैयार करने के उपरान्त माननीय सत्र न्यायालय को प्रेषित किया जाये।

7. सत्र सुपुर्दगी की सूचना लोक अभियोजक को दी जाये।

8. पत्रावली दिनांक 03.07.2026 को माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष पेश हो। अभियुक्तगण प्रमोद चौहान जिला कारागार तिहाड़ दिल्ली से तलब होकर व शेष अभियुक्तगण दीपक उर्फ दीपेश, राजू उर्फ राजकुमार, प्रमोद चौहान, विरेन्द्र चौहान, मनोज चौहान, दीपक चौहान, गौरव त्यागी , महेश, मुकेश सैनी व मोहित चीमा नियत दिनांक 03.07.2026 को माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष पेश हों।

दिनांक–08.06.2026

(पंकज कुमार द्वितीय)
(जे.ओ. कोड–UP3652)
अपर सिविल जज (जू0 डि0)/जे.एम.,
गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।